MOTION FOR ELECTION TO THE CENTRAL ADVISORY COMMITTEE FOR THE NATIONAL CADET CORPS

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूँ:-

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का XXXI) की धारा 12(1क) के साथ पिठत धारा 12 (1)(i) के अनुसरण में यह सभा राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति का सदस्य होने के लिए सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को उस रीति से, जैसे सभापित निदेश दें, निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

The question was put and the motion was adopted.

REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

सुश्री सरोज पाण्डेय (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं एक सदस्य द्वारा सभा की कार्यवाही की कथित वीडियोग्राफी करने और सोशल मीडिया पर इसके प्रसार से उत्पन्न कथित विशेषाधिकार उल्लंघन के प्रश्न के संबंध में विशेषाधिकार समिति का चौहत्तरवां प्रतिवेदन (अंग्रेजी और हिन्दी में) सभा पटल पर रखती हूँ।

TERMINATION OF SUSPENSION OF MEMBER

SHRI RAKESH SINHA (NOMINATED): Sir, I move the following Motion under proviso to Rule 256(2) of the Rules of Procedure for Conduct of Business in the Council of States (Rajya Sabha):-

"That this House resolves that Shrimati Rajani Ashokrao Patil, Member, be held guilty of breach of privileges and the suspension suffered by her so far be taken as sufficient punishment and the House may consider discontinuance of suspension of Shrimati Rajani Ashokrao Patil, Member, from the service of the Council from this day."

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Shrimati Rajani Ashokrao Patil may attend the Session.

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : सर, संजय सिंह जी के लिये भी ऐसा ही कर देना चाहिए। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, you have just seen that an hon. Member was held guilty and suffered punishment. Still, you are engaging in indecorous conduct. Go through the Report of the Committee. ...(Interruptions)... Proactive behaviour does not mean that we contribute to disruption in the House. ...(Interruptions)...

श्री सुशील कुमार गुप्ता : सर, चेयर की पावर है। ...(व्यवधान)...यह मेरा निवेदन है।...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान): मान्यवर,...(व्यवधान)... राजस्थान के बारे में मैंने लगातार तीन प्रस्ताव दिए हैं। मेरा एक प्रस्ताव लाल डायरी के बारे में था, दूसरा प्रस्ताव राजस्थान में जो लगातार बलात्कार हो रहे हैं, उनके बारे में था। ...(व्यवधान)... राजस्थान के अंदर लगातार 1 लाख, 19 हजार केस दर्ज हुए हैं। ...(व्यवधान)...राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँचा हुआ है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान के बारे में चर्चा की जाए। ...(व्यवधान)... राजस्थान में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहाँ एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Shri K.C. ...(Interruptions)...

SHRI K.C. VENUGOPAL (Rajasthan): Sir, from day one, the hon. Leader of the Opposition has been demanding discussion on Manipur. Yesterday and today also, we are hearing the most painful reports from Manipur. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. ...(Interruptions)... The Leader of the House ...(Interruptions)...

सभा के नेता (श्री पीयूष गोयल) : माननीय सभापित महोदय, यह सदन पहले दिन से मणिपुर के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार रहा है। ...(व्यवधान)...सरकार ने तो पार्टी लीडर्स ...(व्यवधान)... और पहले ही दिन सदन में इसको स्वीकृति दी और आपने कहा कि इस पर चर्चा हो। ...(व्यवधान)... आपकी अनुमित से इस चर्चा के प्रस्ताव को सदन में रखा भी गया, उसको बिजनेस में लिस्ट भी किया गया, उसके बाद भी ये चर्चा से भाग रहे हैं। ...(व्यवधान)... यह बड़ी शर्मनाक बात है। ...(व्यवधान)...इनके दिल में मणिपुर के लिए कोई संवेदना नहीं है। ...(व्यवधान)... ये चाहते ही नहीं हैं कि चर्चा हो। ...(व्यवधान)... ये चाहते ही कि चर्चा हो। ...(व्यवधान)... ये जो मणिपुर की चर्चा से भाग रहे हैं, इसकी मैं निन्दा करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आप राजस्थान के ऊपर चर्चा को स्वीकार करें। ...(व्यवधान)...उसको जल्द

से जल्द लिस्ट किया जाए। ...(व्यवधान)... उसको तुरंत लिस्ट करके राजस्थान के गंभीर विषय के ऊपर चर्चा शुरू होनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members ...(Interruptions)... Shri Digvijaya Singh ...(Interruptions)... Hon. Members, let the House be in order. ...(Interruptions)... The House is adjourned to meet at 2.00 p.m.

The House then adjourned at fourteen minutes past eleven of the clock.

The House reassembled at two of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that the Business Advisory Committee in its meeting held today, the 7th August, 2023, has allotted time for the Government Legislative Business as follows:

BUSINESS TIME ALLOTTED

1. Consideration and passing of the Pharmacy (Amendment) Bill, 2023 (after it is passed by Lok Sabha)

Two Hours

2. Consideration and passing of the Anusandhan National Research Foundation Bill, 2023

(after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha)

Two Hours

3. Consideration and passing of the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Bill, 2023

Three Hours

2. Further, the Committee recommended that the three hours' time allotted for combined discussion on the Statutory Resolution seeking disapproval of the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Ordinance, 2023, and consideration and passing of the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023, as passed by Lok Sabha on 20th July, 2023, may be increased to **Six Hours**.